राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3) विभाग

10

क्रमांकः प.9(5)(9)कार्मिक/क-3/2001 जयपुर, दिनांक मई 16, 2002

समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स सहित)

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 20/3/2001 को समसंख्यक परिपत्र के माध्यम से राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम-18 के प्रावधान, जिसके तहत कोई भी राजकर्मी बिना पूर्व अनुमति के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से निजी रुप से व्यवसाय एवं नियोजन प्राप्त नहीं कर सकेगा तथा अपनी पत्नी या परिवार के किसी अन्य सदस्य द्वारा धारित (owned) अथवा संचालित (managed) बीमा एजेन्सी अथवा अन्य कमीशन एजेन्सी या इस प्रकार के किसी अन्य व्यवसाय में पक्ष-प्रचार (canvassing) भी नहीं कर सकेगा, की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यादिष्ट किया गया था कि राजकर्मी इस प्रकार के व्यावसायिक कृत्य व अन्य कमीशन ऐजेन्सी के पक्ष-प्रचार में लिप्त न होवें अन्यथा इसे आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि उक्त नियमों व निर्देशों के बावजूद कुछ राजकर्मी उपर्युक्त कथित व्यवसायिक गतिविधियों में रुचि लेकर उसके प्रचार/प्रसार के दृष्टिकोण से सरकारी दौरों के माध्यम से अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से पदीय हैसियत का प्रभाव डाल कर उनको उपरोक्त प्रकार की व्यवसायिक कम्पनी/एजेन्सी आदि का सदस्य बनाने अथवा उस कम्पनी के उत्पाद को खरीदने हेतु मजबूर करते हैं।

अतः सभी संबंधित को पुनः व्यादिष्ट किया जाता है कि राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के प्रावधानों व इस संबंध में जारी निर्देशों की कठोरता से पालना की जाय तथा कोई भी अधिकारी/कर्मचारी सरकारी दौरों के माध्यम से अथवा अन्यथा किसी भी प्रकार से अपने अधीनस्थ राजकर्मियों पर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रुप से पदीय हैसियत का प्रभाव डालकर उन्हें किसी प्रकार की व्यवसायिक कम्पनी/एजेन्सी आदि का सदस्य बनाने अथवा उस कम्पनी के उत्पाद को खरीदने हेतु प्रेरित करने जैसी कार्यवाही न करें अन्यथा इसे आचरण नियमों का उल्लंघन मानते हुए उसके विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कृपया आचरण नियमों के उक्त प्रावधान तथा निर्देश अपने अधीन समस्त राजकर्मियों के ध्यान में लाना सुनिश्चित करें।

14/5/2002.
शासन सचिव